सकता । आरआरडी 2010 पेज 50 यहाँ चस्पा होती है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 4 की 10–12 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा मृत्यु की तारीख को दर्शाते हुए कोई प्रमाण यथा मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर नरम रूख अपनाते हुए 500/– रूपये के हर्जे पर अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत कायममुकामान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 4 के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है । पत्रावली वास्ते संशोधित टाईटल दिनांक 30.07.2021 को पेश हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/7/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30/7/21 वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने संशोधित टाईटल पेश किया जो शामिल मिसल रहे। वकील रेस्पो. ने माननीय राजस्व मण्डल की नकल निगरानी पत्र पेश किया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल में तारीख पेशी दिनांक 5/10/21 नियत है। उक्त पत्रावली को मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ नियत पेशी दिनांक 5/10/21 से पूर्व माननीय राजस्व मण्डल को भिजवा दी जावे। बाद निर्णय राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा